न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 749—तीन / 09 विरूद्ध आदेश दिनांक [illegible] पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, [illegible] प्रकरण क्रमांक 916 / अपील / 06—07

1— रामभुआल तनय काशी प्रसाद पाण्डेय
2— शिवचरण पाण्डेय तनय काशी प्रसाद पाण्डेय
दोनों निवासी ग्राम [illegible]
तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0 [illegible]

विरूद्ध

1— काशी प्रसाद तनय [illegible]
2— शिवनारायण तनय काशीप्रसाद
3— केशव प्रसाद तनय काशी प्रसाद
सभी निवासीगण ग्राम [illegible]
तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0 अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. [illegible]
अनावेदक क्र. [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]
अनावेदक क्र. 2 [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]

आदेश
(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, [illegible] प्रकरण क्रमांक 916 / अपील / 06—07 [illegible] राजस्व संहिता 1959 [illegible] के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लेखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया कि [illegible] भूमियों का बटवारा पिता एवं पुत्र के मध्य था, संहिता की धारा 178 के तहत भूमिस्वामी के जीवनकाल में बटवारा आवेदन के आधार पर [illegible] उत्तराधिकारियों के मध्य किया जा सकता है । विचारण न्यायालय ने [illegible] प्रकिया अपना कर बटवारा [illegible]

यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] से यह प्रमाणित किया गया कि विवादित भूमियां काशीप्रसाद को उत्तराधिकार में उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी । विचारण न्यायालय में अनावेदकों द्वारा राजीनामा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है जिसका खंडन उनके द्वारा नहीं किया गया । उक्त बिंदुओं को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आपसी बटवारे के आधार पर नामांतरण किये जाने के संबंध में है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का [illegible] करते हुए यह पाया है कि विवादित भूमि का भूमिस्वामी काशीप्रसाद होकर उसका कोई सहखातेदार नहीं है इस कारण संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा नहीं हो सकता । जहां तक आपसी बटवारे के आधार [illegible] जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें एक पक्ष के हस्ताक्षर है दूसरे पक्ष के नहीं हैं इसलिए उभयपक्ष की सहमति से बटवारा नहीं माना जा सकता [illegible]

उदघोषणा जब जारी [illegible] थी जिन्हें बाद में दूसरी स्याही से लिखकर बढ़ाया गया है । उदघोषणा ग्राम गोलहटा की भूमियों के लिए जारी की गई थी जबकि ग्राम [illegible] स्थित भूमि [illegible]

खसरा नं0 413/1ख एवं [illegible] को भी ग्राम [illegible]हटा में दर्शाते हुए [illegible] किया गया है जबकि ग्राम देवरी के लिए के पृथक से कोई उद्घोषणा जारी [illegible] गई थी और ना ही ग्राम मोलहटा के लिए जारी उद्घोषणा [illegible] पृष्ठ [illegible]। कोई तामीली रिपोर्ट दर्ज है [illegible] पटवारी [illegible] अपनी रिपोर्ट में [illegible] खातेदारों के मध्य अलग-2 बटवारा नहीं है और इस कारण [illegible] बटवारे को विश्वास योग्य नहीं माना है। अपर आयुक्त [illegible] आदेश [illegible] भी पाया है कि उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया है [illegible] और ना ही प्रस्तुति की दिनांक का कोई उल्लेख है [illegible] उसके विधिक महत्व नहीं [illegible] भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में भूमि का बटवारा कर सकता है किंतु [illegible] उसकी सहमति और तहसीलदार के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर [illegible] वैध उत्तराधिकारियों के बीच बटवारा कर सकता है [illegible] प्रकरण [illegible] परिस्थिति भी नही है क्योंकि भूमिस्वामी ने बटवारे में [illegible] की है और इस कारण उन्होंने [illegible] के निष्कर्ष [illegible] पुष्टि करते हुए [illegible] आदेश को स्थिर रखा है। अपर आयुक्त के [illegible] आदेश विधिसम्मत [illegible] प्रकिया के अनुसार अभिलेख पर आधारित है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं [illegible]।

परिणामतः यह [illegible] [illegible] होने से निरस्त की जाती है।

(एम. के. सिंह)

[illegible]

राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

[illegible]